

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) : दिल्ली

परिपत्र

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जा रही "हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2019-2020 और विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं के संबंध में क्रमशः जारी किए गए कार्यालय परिपत्र संख्या 24081-24165/ हिन्दी/प्रतियोगिता/दिल्ली सरकार/पश्चिम/238/2019, दिनांक 23-08-2019 और परिपत्र संख्या 24166-24250/वि.हि.प्रतियोगिता/दिल्ली सरकार/पश्चिम/238/2019, दिनांक 23-09-2019 के क्रम में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) से यथास्वीकृत निर्देशों से आपको अवगत करवाया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

1. पीठासीन/सक्षम अधिकारी इच्छुक अधिकारी/कर्मचारियों के नाम प्रेषित करते हुए और उन्हें इन प्रतियोगिताओं में भेजते हुए यह अवश्य सुनिश्चित करें कि इससे कार्यालय कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
2. विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रतियोगिताओं में अधिकारी/कर्मचारी अपने पीठासीन/सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर सीधे परीक्षा स्थल जा सकते हैं।
3. हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता-2019 (स्वेच्छा से), मूल्यांकन अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 तक के संबंध में जब इच्छुक कर्मचारियों के हिन्दी में किए गए कार्यों की जाँच/अवलोकन के लिए कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुरोध किया जाएगा तो पूर्व प्रक्रिया की भांति यह अवलोकन/जाँच करवाई जाएगी।
4. उक्त प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त करने और पुरस्कार वितरण समारोह स्थल पर जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

विशाल पाहुजा

(विशाल पाहुजा)

प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश-सह-

वा.दी.न्या.-सह-अति.कि.नि. (पश्चिम)/

लिनक नोडल अधिकारी, के.हिं.का.समिति।

24322-24405

संख्या...../हिन्दी/वि.हि.प्रतियोगिता/दिल्ली सरकार/पश्चिम/238/2019 दिनांक.....26/10/19

परिपत्र की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

- 1- कार्यालय जिला एवम् सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), जिला न्यायालय, दिल्ली।
- 2- श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
- 3- समस्त विद. न्यायिक अधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 4- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 5- वरि. प्रशासनिक अधिकारी (न्या.)/ प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिला न्यायालय, दिल्ली, केवल सूचनार्थ।
- 6- आहरण एवम् संवितरण अधिकारी/ लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 7- विद. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/ विद. अति. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 8- सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 9- कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 10- श्री संजय जैन, उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई.पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11- वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/ हिन्दी, जिला न्यायालय, दिल्ली।
- 12- संबंधित कर्मचारी, लेयर्स (लेयर्स पर प्रदर्शित करने हेतु)।
- 13- निजी सचिव, वि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम), दिल्ली।

* कृपया ध्यान दें -आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवगत करवाएं।

विशाल पाहुजा

प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश-सह-

वा.दी.न्या.-सह-अति.कि.नि. (पश्चिम)/

लिनक नोडल अधिकारी, के.हिं.का.समिति।